(8)

सीरिज़ : 2

विधान सभाओं में प्रायः प्रयोग में आनेवाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय

- जी. एल. गुप्ता

~~Series 2~~ फरवरी, 1948

Series 2

FOREWORD

This is the second of the series, the first having been published, first time in October 1947 in topical order and next time in February 1948 in alphabetical order. In the Foreword to the first series I have given the background underlying the scheme. The reader would do well to go through that carefully in order that he may have some appreciation of the problem involved

In fact we have to travel in an unchartered sea. Hindi or for the matter of that any other Indian language was not the vehicle of expression in Law, Constitution or advanced sciences. The eminence of our language was confined to subjects other than these. It was the language of poetry, novels, Biography, History and so on, but not of natural sciences, Law or Constitution. That was denied to Hindi and our other languages by the political domination of a foreign power. Our medium in these subjects was English. We have now to make Hindi and other Indian languages vehicles of thought on these subjects also. We have not only to fix old and coin new words to meet the requirement but have also to evolve a style to suit these subjects. In criticising our attempt it is often forgotten that each subject has a style of its own. This is so in every language including English. The style of Shakespeare or Sir Walter Scott is not the style of the Law of Contract or the Statute of Westminister or of Solid Geometry. No body would wonder at the terseness of language and nauseating repetition of the same words and Phrases in the Indian Penal Code or resent the lack of flow and flurish therein. A scholar of English literature won't blame the author of a book on Dynamics or on Criminal Law if he finds that he cannot understand it. That is because we are habituated to different styles on different subjects in English. But there is a marked lack of appreciation of this problem in case of Hindi. Many of us think that our present knowledge of Hindi must suffice for the purpose. We forget that not only our own knowledge of Hindi is meagre but that Hindi has also to grow in an unfamiliar manner, which we have to master.

I would request my critics to be constructive and not destructive. This is but an attempt as building a new road or chartering a new sea and all constructive suggestions would be most welcome.

I cannot end this Foreword without expressing my thanks to Dr. Raghuvir whose assistance has been invaluable.

G. S. Gupta.

कमला
सद्गोपाल
पब्लिक ट्रस्ट
की ओर से भेंट
kamalasadgopalpublictrust@gmail.com

C

Candidate : अभ्यर्थी, उम्मेदवार.
Caretaker (one who takes care : अवधान, अवेक्षा) अवधाता, अवेक्षक.
Casting vote : निर्णायक मत.
Casual vacancy : आकस्मिक रिक्त स्थान, आकस्मिक रिक्ति.
Certificate : प्रमाणपत्र.
Certification : प्रमाणन.
Challenged : उपाहूत.
Challenged votes : उपाहूत मत.
Character or conduct : आचरण अथवा व्यवहार.
Charge, Minister in : प्रभारी मंत्री.
Charge, Personal : वैयक्तिक प्रभार.
Clear days : पूर्ण दिवस.
Clearly and precisely expressed : स्पष्टतः तथा सुतथ्यतः व्यक्त.
Closure: संवरण.
Compensation : हानिपूरण, हानिपूर्ति.
Compensatory allowance : पूरक अधिदेय.
Concern : विषय, व्यापार, संबन्ध, कार्य, चिंता, व्यापार-संस्था.
Concurrence : सम्मति, संगमन, संगामित्व.
Condition : प्रतिबन्ध.
Conduct : आचरण.
Conduct, Personal : वैयक्तिक आचरण.
Confidential : गोपनीय, गुप्त, सविश्रम्भ.
Confined to discussion : पर्यालोचन तक (संसीमित) सीमित.
Consent : सहमति.
Consequential : समनुवर्ती.
Continuing candidate : अविरामी अभ्यर्थी (or उम्मेदवार).
Continuing member : अविरामी सदस्य.
Continuing : अविरत, अविरामी.
Countersigned : प्रतिहस्ताक्षरित.
Counter (a machine for counting) : गणित्र.
Counter (a table or board on which money is counted) : गणना-फलक.

D

Daily allowance : दैनिक अधिदेय.
Days, Clear : पूर्ण दिवस.
Deal with : संव्यवहार (सं with).
Debatable matter : विवदनीय विषय, (debate वादविवाद) वादविवाद्य.
Decentralisation : विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीयण.
Declare : घोषण.
Deem : विचारण, मानना, समझना.

D—*cont.*

Defamation : अपकीर्ति, अपकीर्तिकरण.
Defamatory : अपकीर्तिकर, अपकीर्तक.
Defamatory words : अपकीर्ति शब्द (words containing defamation).
Deficit *n.* : हीनता, हीनार्थता; *adj.* हीन, हीनार्थ.
Deficit budget : हीन आयव्ययक.
Definite matter : निश्चित विषय.
Deliver : सौंपना, देना, अर्पण, प्रदान, हस्तान्तरण.
Demonstration by applause : प्रशंसाघोष द्वारा प्रदर्शन.
Designate *vb.* : उत्संज्ञापन (to make out and make known).
निर्देशन (to point out, indicate).
अभिधान (to name).
Designation : उत्संज्ञा, निर्देश, अभिधान, (appointment) नियुक्ति.
Determination : निश्चयन, निश्चय.
Detrimental : हानिकर.
Devolution : अवक्रमण (descending).
Devolution rules : अवक्रमण नियम.
Dilatory : विलम्बकारी.
Dilatory motion : विलम्बकारी प्रस्ताव.
Direction : निर्देशन.
Discharge of function : कार्यपालन, कार्यपूर्ति.
Discretion : स्वविवेक.
Discretion, Acting in his : स्वविवेकानुकूल कार्य करते हुए.
Discretionary powers : स्वविवेक शक्ति.
Disorder, Grave : गंभीर अव्यवस्था.
Dissent : विमति.
Disorderly : अव्यवस्थ, अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त.
Distinguished visitor : प्रतिष्ठित दर्शक.
Distribution of revenue : आगम-वंटन.
Division : विभाजन.
Division bell : विभाजन घंटा.
Division be taken summarily : विभाजन संक्षेपतःलिया जाय.
Doubt : संदेह.
Duly : यथाविधि (according to law), यथासमय (in due time, timely), यथानियम (regularly), यथामात्र (in due degree), यथोचित (as it ought to be), सम्यक्, सम्यक्तया (properly), पर्याप्त (sufficiently).
Duration of speech : भाषण-अवधि.

E

Election, To hold an : निर्वाचन करना.
Election by single transferable vote : एकसंक्राम्य मत द्वारा निर्वाचन.
Election returns : निर्वाचन-विवरण.
Election expenses : निर्वाचन-व्यय-विवरण.
Eligible for election or re-election : निर्वाचन अथवा पुनर्निर्वाचन योग्य.
Elucidation : विशदन, विशदीकरण, स्पष्टीकरण.
Emergent : सद्यस्कृत्य (calling for immediate action).
Enforcement : प्रवर्तन.
Excessive length : अत्यधिक लम्बाई.
Exclude from election : निर्वाचन से अपवर्जन, निर्वाचन से पृथक् करना.
Explanation : व्याख्या, स्पष्टीकरण.
Explanation, Personal : वैयक्तिक स्पष्टीकरण.
Explanatory statement : व्याख्यात्मक कथन.
Export duty : निष्क्राम्य कर.
Expression : अभिव्यक्ति, वचन, वाक्य.
Extent : विस्तार, मात्रा.
Extent of motion : प्रस्ताव का विस्तार.

F

Fact, Matter of : तथ्य की बात, तथ्यात्मक
Family rest-house : कुटुम्ब-विश्रामगृह या पारिवारिक विश्रामगृह.
Federation : संघान.
Final : अन्तिम, सर्वान्त्य, अन्त्य.
Financial year : आर्थिक वर्ष.
Financial statement, Annual : वार्षिक आर्थिक विवरण.
Foreign prince : विदेशीय नरेश (H. विदेशी).
Foreign state : विदेशीय राज्य (H. विदेशी).
Formal : *adj.* बाह्यरूपिक, उपरिक, यथानियम, यथारूप, यथाचार.
(Morphological, inflectional : रूपिक.)
(Methodical : यथारीति.)
(Regular : यथानियम.)
(In due form : यथारूप.)
(Conventional : यथाचार.)
(Of the nature of external form : बाह्यरूपिक.)
(Superficial : उपरिक.)
Formal motion : यथारूप प्रस्ताव, रूपमात्र प्रस्ताव.
Forward : अग्रप्रेषण, आगे भेजना (to send forward).
अग्रे.
Fractions : प्रभाग, भिन्न.

G

Gazette : सूचना पत्र (containing public notices, etc.) (गज़ट).
Gazette, Official : राजकीय सूचनापत्र (गज़ट).
General rules of procedure : कार्यविधि या प्रक्रिया के सामान्य नियम.
General public : सर्वसाधारण, सामान्य जनता.
Giving of notice : सूचना दान.
Government bill : राजकीय विधेयक.
Government business : राजकीय कार्य.
Grave : गुरु, भारी, गंभीर.
Grave disorder : गंभीर अव्यवस्था.
Grave emergency : गंभीर सद्यस्कृत्यता.

H

His Majesty's Service : सम्राट्-सेवाएँ.
House committee : गृहसमिति.
Hypothetical proposition : औपकाल्पनिक प्रस्थापना.

I

Illegal : अवैध.
Illustrative : निदर्शी.
Illustrative election : निदर्शी निर्वाचन.
Immediate : सद्यस्क, तात्कालिक.
Immediately : तत्काल.
Imputation : अभ्यारोप.
Individual judgment : वैयक्तिक निर्णय.
Informal : अरीतिक, अयथारूप.
Information : सूचना.
Instruction : निदेश.
Interpretation : निर्वचन.
Interpretation, Legal : वैध निर्वचन.
Interrupt : व्याहनन, रोकना.
Interruption : व्याघात, व्याहनन.
Intervene : अन्तरयण.
Intervention : अन्तराय, अन्तरयण.
Invalid : विधिहीन, विधिरहित, अमान्य, असमर्थ.
Irrelavant : असंगत.

J

Judicial : न्यायिक.

Judicial decision : न्यायिक निर्णय.

L

Language, Recognised : प्रस्वीकृत भाषा.

Lapse : व्यपगम, भ्रंश.

Leave : अनुमति, छुट्टी.

Leave of absence : अनुपस्थिति की अनुमति, छुट्टी.

Leave to withdraw motion : प्रस्ताव को लौटा लेने की (या वापिस लेने की) अनुमति.

Legal interpretation : विध्यनुसार निर्वचन, वैध निर्वचन.

Legislation : विधान.

Library committee : पुस्तकालय समिति.

List of business : कार्यसूची.

Local authority : स्थानीय प्राधिकार, स्थानीय प्राधिकारि वर्ग.

M

Main observation : प्रधान विचार, उक्ति.

Majority report : बहुसंख्य प्रतिवेदन.

Manufacture : निर्माण.

Marginal notes : पार्श्व टिप्पणी.

Matter : विषय.

Matter of fact : वास्तविक घटना (an actual occurrence); तथ्य, तथ्यात्मक (a matter that is or pertains to fact); तथ्यात्मक (*adj.*) (adhering to or concerned with fact); साधारण (commonplace) :

Meeting : अधिवेशन.

Member-in-charge : प्रभारी सदस्य.

Message : संदेश.

Minister-in-charge : प्रभारी मंत्री.

Ministerial party : मंत्रिपक्ष.

Minute of dissent (note of dissent) : विमति टिप्पण.

Motion expressing want of confidence or no confidence motion : अविश्रम्भ प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव.

Motion, Leave to withdraw the : प्रस्ताव लौटा लेने की (या वापिस लेने की) अनुमति.

Motion, Reading of : प्रस्ताव वाचन.

Motion, Subject-matter of : प्रस्ताव का विषय.

Motion, Terms of : प्रस्ताव के पद.

Motion, Wording of : प्रस्ताव के शब्द.
Motion, Purpose of : प्रस्ताव का उद्देश्य.
Motion, Limit of : प्रस्ताव की सीमा.
Motion, Scope of : प्रस्ताव का क्षेत्र.
Motion, Extent of : प्रस्ताव का विस्तार.

N

Negative vote : नकारात्मक मत.
Net proceeds : शुद्ध उदय.
Non-official : विराजकीय, राजकीय भिन्न, गैरसरकारी.
Non-official member : विराजकीय सदस्य.
Notice, Giving of : सूचना देना.
Notwithstanding : उपेक्षा करके, अनादृत्य, इस के होते हुए भी.

O

Observations : विचार, वचन, उक्ति.
Observation, Main : प्रधान विचार, उक्ति.
Observations, Side : गौण विचार, उक्ति.
Offensive expressions : रोषकारी वचन, आक्रमक वचन, आक्षेप वचन.
Offensive remarks : रोषकारी अभ्युक्ति.
Offensive language : रोषकारी भाषा.
Offensive words : रोषकारी शब्द.
Official member : राजकीय सदस्य.
Official party : राजकीय पक्ष.
Official business : राजकीय कार्य.
Official capacity : अधिकारी रूप में (c.f. public capacity : जनसाधारण के रूप में).
Officially connected : अधिकारिरूपेण सम्बद्ध, अधिकारी रूप से सम्बद्ध.
Operation : चालन, प्रवर्तन.
Original vote : मूल मत.

P

Paper, Exhausted : निश्शेषित पत्र.
Paper, Unexhausted : अनिश्शेषित पत्र.
Parcels : पोटली.
Passage allowance : यात्राधिदेय.
Pending (awaiting decision) : विचाराधीन, लम्बमान.

P—*cont.*

Permission : अनुमति.

Personal charge : वैयक्तिक प्रभार.

Personal conduct : वैयक्तिक आचरण, वैयक्तिक व्यवहार.

Personal explanation : वैयक्तिक स्पष्टीकरण.

Pertinent : संगत.

Point of order : औचित्य-प्रश्न.

Poll : मतदान (casting of votes) ;
मतलेखन (recording of votes) ;
दत्तमत संख्या, मतसंख्या (number of votes cast) ;
मतदान स्थान, मतस्थान (place where votes are cast).

Post : प्रेषण, पद, डाक.

Power of person presiding : सभापतित्व करनेवाले (व्यक्ति) की शक्ति.

Precedence : पूर्वता.

Precisely expressed : सुतथ्यत: अभिव्यक्त.

Preference (in election) : प्रवरण.

Preference first : प्रथम प्रवरण.

Primarily the concern of the Provincial Government : मुख्यत: प्रांतीय शासन का विषय (काम, बात).

Preservation of order : शान्ति-परिरक्षण.

Prevail : अभिभावी होना.

Prince, Foreign : विदेशीय नरेश (H. विदेशी).

Principles of proportional representation by means of the single transferable vote : एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान का प्रनियम.

Printing and publication : मुद्रण तथा प्रकाशन.

Prior : पौर्विक.

Priority : पौर्विकता.

Priority list : पौर्विकता-सूची.

Privilege motions : विशेषाधिकार प्रस्ताव.

Probability : संभाव्यता.

Procedure : कार्यप्रणाली, कार्यरीति, प्रक्रिया.

Prohibition : प्रतिषेध.

Promulgate : प्रवर्तन, प्रसारण.

Proportional representation : अनुपाती प्रतिनिधान.

Proposition : प्रस्थाप्य.

Provide : प्रावधान, प्रावधानकरण.

Provided that : पर.

P—*cont.*

Provident fund : नीविका.

Provision : प्रावधान.

Proviso : परादिक (An article or clause by which a condition is introduced, usually beginning with the words 'provided that').

Public affairs : लोक-कार्य.

Public concern : लोक-संबन्ध, लोक-विषय.

Purpose of motion : प्रस्ताव का उद्देश्य.

Putting the question : प्रश्न रखना या प्रश्न पूछना.

Q

Question be now put : अब प्रश्न रखा जाए, या अब प्रश्न पूछा जाए.

Question, Putting the : प्रश्न रखना या पूछना.

Quorum : कार्यवाह् संख्या, गणपूरक.

Quota : अभ्यंश.

R

Reading of motion : प्रस्ताव का वाचन.

Recent occurrence : अभी की घटना, ऐतत्कालिक घटना.

Recirculation : पुन: परिवहन.

Recognize : प्रस्वीकरण.

Recognized : प्रस्वीकृत.

Recognized by law : विधि द्वारा प्रस्वीकृत.

Recognized language : प्रस्वीकृत भाषा.

Recommendation, Specific : विशिष्ट या निश्चित अभिस्ताव.

Reference : निर्देश.

Reference, Terms of : निर्देश के पद.

Relevant : सुसंगत, संगत.

Relevant, Strictly : सर्वथा सुसंगत.

Remarks : अभ्युक्ति.

Remarks, Please address the—to the Chair : कृपया अध्यक्ष को सम्बोधन करें.

Repetition : पुनरुक्ति.

Repugnant : प्रतिकूल.

Require : अपेक्षण.

Requirement : अपेक्षा.

Requisition : अधियाचन (demanding as of right).

Reserved : आरक्षित.

Rest-house : विश्रामगृह.

R—*cont.*

Rest-house, Family : पारिवारिक या कुटुम्ब विश्रामगृह.
Restrictions : आयंत्रण.
Resume seat : आसन ग्रहण करना, बैठना.
Returning officer : निर्वाचन-अधिकारी.
Returns, Election : निर्वाचन-विवरण.
Revive : पुनर्जीवित करना.
Right of reply : उत्तर (देने) का अधिकार.
Ruling : व्यवस्था, निर्णय.

S

Sanction : संमोदन, स्वीकृति.
Scope : क्षेत्र, विस्तार.
Scope of motion : प्रस्ताव का क्षेत्र.
Scrutinize : परिनिरीक्षण.
Sense of the Assembly : सभा का अभिप्राय.
Session, Termination of : सत्रावसान.
Side observation : गौण विचार, उक्ति.
Special business : विशेष कार्य.
Specific recommendation : विशिष्ट अथवा निश्चित अभिस्ताव.
Speech, Duration of : भाषण-अवधि.
State, Foreign : विदेशीय राज्य (H. विदेशी).
Statement of fact : तथ्यकथन, तथ्यविवरण.
Statute : परिनियम.
Subscribe : अनुहस्ताक्षरण (sub अनु).
Subject-matter : विषय.
Subject-matter of motion : प्रस्ताव का विषय.
Successive : उत्तरोत्तर, पूर्वानुपर.
Summarily : समासतः, संक्षेपतः
Summarily dealt with : संक्षेपतः (समासतः), संव्यवहृत, निर्णीत.
Summary : संक्षेप.
Summoned : आहूत.
Surcharge : अधिभार.
Suspend : निलम्बन, स्थगन.
Suspension : निलम्बन, स्थगन.

T

Terms of reference : निर्देश के पद.
Tenure of office : पदधारण काल.

T—*cont.*

Termination of session : सत्रावसान.

Terms of motion : प्रस्ताव के पद.

Ticket : पत्रक.

Total : योग, समस्त, संकलन.

Trading : व्यापार करना.

Transferable : संक्राम्य, हस्तान्तरणीय.

Transferred vote : संक्रान्त मत, हस्तान्तरित मत.

Transaction of business : कार्यसंपादन.

Treasonable words : अभिद्रोहात्मक शब्द.

Typing : मुद्रलेखन.

U

Unexhausted papers : अनिश्शेषित पत्र.

Unless there is anything repugnant in the subject or context : जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो.

Unredeemed balance : अशोधित शेष.

Urgent : अविलम्ब्य, अविलम्बनीय.

V

Valid : मान्य, समर्थ, विध्यनुकूल.

Validity : मान्यता, विध्यनुकूलता.

Value : मूल्य, अर्हा.

Verbal alteration : शाब्दिक परिवर्तन.

Vote, Original : मूल मत.

Vote may be taken by voices or division : शब्द अथवा विभाजन से मत लिया जा सकता है.

Vote, Transferred : संक्रान्त मत, हस्तान्तरित मत.

W

Withhold consent : सहमति (प्रतिधारण) रोकना.

Wording : शब्द-रचना.

Wording of motion : प्रस्ताव की शब्द-रचना.

Working day (Work day) : कार्य-दिवस.

DEMANDS FOR GRANTS

The Honourable...
(Minister....................) : Sir, I move that a sum not exceeding Rs....................be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenue of the Province during the year ending the 31st day of March 194.... in respect of......................

The Honourable the SPEAKER : Motion moved :

That a sum not exceeding Rs...............be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenues of the province during the year ending the 31st day of March, 194....in respect of.................

The Honourable the SPEAKER : The question is :

That a sum not exceeding Rs.................. be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenues of the Province during the year ending the 31st day of March, 194.... in respect of....................

मांग के बारे में प्रस्ताव

माननीय ————————————————————————
———————————————— में प्रस्ताव करता हूं कि तारीख ३१ मार्च १६ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में ———————————————— के लिय प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु. ———————— तक की राशि ी जाये.

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि तारीख ३१ मार्च १६ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में ———————————— के लिये प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु. ———————————— तक की राशि दी जाय.

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उपस्थित है कि तारीख ३१ मार्च १६ ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में ———————————— के लिये प्रान्त के आगमों में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रान्तपति महोदय को रु. ———————————— तक की राशि दी जाये.

NOTICE OF MOTIONS TO REDUCE OR OMIT GRANTS IN THE BUDGET ESTIMATE FOR 194 -4

१६४ -४ ई. के आयव्ययक की मांगों को घटाने अथवा लोप करने के प्रस्तावों की सूचना

(Notice should reach the Assembly Office by 3 p.m. on the March 194 .)

(सूचना, विधान सभा कार्यालय में, मार्च १६४ ई. को ३ बजे दिन के पहिले पहुंच जानी चाहिये.)

Demand No. मांग सं. ————————————

Mr. श्री. ————————————————————————

Estimate page आगणन पृष्ठ ————————————————

Detailed Account No. सविस्तार लेखा सं. ——————————

Normal New Expenditure-Item No. साधारण नवीन व्यय-पद सं.——————
or अथवा.

Development New Expenditure—Item No. विकास नवीन व्यय-पद सं.————

To move a reduction of Rs. रुपयों की कमी का प्रस्ताव करना ————————

———————————————————————————————

Reasons for proposed reduction (see the note below).

प्रस्तावित कमी के हेतु (नीचे टिप्पणी देखिये).

The ————— March 194 .

ता. ————— मार्च १९४ ई. Signature of Member सदस्य के हस्ताक्षर.

NOTE.—The member is requested to state clearly and briefly the subject which he wishes to raise on the motion as required by rule 99 (2) of the Assembly Rules.

टिप्पणी.—सदस्य महोदय से प्रार्थना है कि वे अपने इस कटौती प्रस्ताव पर जिस प्रश्न को उठाना चाहते हैं उसे संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखें. यह विधान सभा के नियम ९९ (२) के अनुसार आवश्यक है.

LEGISLATION [I

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

..................................BILL, 194 (No.........of 194)

The Honourable... (Minister for....................................): Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section..........of the Government of India Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the introduction of the Central Provinces and Berar..Bill, 194 (No..... of 194).

I introduce the Central Provinces and Berar.............................. ....Bill, 194 (No...........of 194).

The Honourable the SPEAKER : The Central Provinces and Berar...... ....Bill, 194 (No.................. of 194) is introduced.

The Honourable .... (Minister for...): Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar......................... ....Bill, 194 (No.............of 194) be taken into consideration at once.

(Speech of the Honourable Minister)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency, with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the provisions of rule 72 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar..............................
Bill, 194 (No...........of 194) be taken into consideration at once."

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER : The question is that the Central Provinces and Berar... Bill, 194 (No...........of 194) be taken into consideration at once.

Those who are in favour of the motion will please say "Aye" : Those who are against the motion will please say "No" : I think the "Ayes" "Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

The Honourable the SPEAKER : The House will now proceed to consider the Bill, clause by clause.

The question is that clauses...of Bill 194 (No...........of 194) (as amended by the House) do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that clause 1 do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that the long title and the preamble do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The Honourable ....
(Minister for..),
Mr. Speaker, Sir, I now move that the Central Provinces and Berar............
..............................Bill, 194 (No...........of 194), as considered by the House, be passed into law.

(Speech of Honourable Minister, if any)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar..................................
Bill 194 (No...........of 194), as considered by this House, be passed into law."

(After debate, if any)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

That the Central Provinces and Berar..................................
........................Bill, 194 (No...........of 194), as considered by this House, be passed into law.

Those who are in favour, etc.

विधान

[क्रमांक १]

मध्यप्रान्त और बरार————————————(संशोधन)विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई.

(संख्या————————संवत् १९४ ई).

———

माननीय पण्डित/श्रीयुत्————————————————————————
————————————मन्त्री) :
श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउन्स) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ प्रान्तपति (हिज एक्सीलेन्सी दि गवर्नर) ने मध्यप्रांत और बरार————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————————संवत् १९४ ई.) के पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) के लिये भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट) संवत् १९३५ ई. की धारा————————के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सैंक्शन)/अभिस्ताव (रिकमेन्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रांत और बरार——————————————————————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) का पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रान्त और बरार——————————————————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) पुरःस्थापित (इन्ट्रोड्यूस) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत्————————————————————————
(————————————मन्त्री) :
श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रांत और बरार————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) पर तुरन्त विचार किया जावे.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

(यदि सभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे, तो प्रस्तावक माननीय अध्यक्ष महोदय से नियम ७२ के प्रावधानों (प्रावीज़न्स) के प्रवर्त्तन (आपरेशन) का निलम्बन (सस्पेन्ड) करने की प्रार्थना करें और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलावें.)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

"मध्यप्रान्त और बरार————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) पर तुरन्त विचार किया जावे."

(इस प्रस्ताव पर और वादविवाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और बरार————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) पर तुरन्त विचार किया जावे.

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

माननीय अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः (क्लाज़ बाई क्लाज़) विचार करेगी.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रांत और बरार——————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. का/के (इस सभा द्वारा संशोधित) खण्ड—————————— इस विधेयक (बिल) का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रांत और बरार——————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. का खण्ड १ इस विधेयक का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा प्रस्तावना (प्रिएम्बल) इस विधेयक (बिल) का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

माननीय पण्डित/श्रीयुत ——————————————(————————————मंत्री) : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा विचारित (एज कन्सीडर्ड) मध्यप्रान्त और बरार————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या———— ————————————संवत् १९४ ई.) विधि बने.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण, यदि वे दें)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि—

"सभा द्वारा विचारित मध्यप्रांत और बरार——————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. विधि बने."

(यदि कोई वादविवाद हो, तो उसके पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"सभा द्वारा विचारित मध्यप्रांत और बरार——————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. विधि बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि"

[II

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

....BILL, 194 (No....of 194)

The Honourable .... (Minister for ....): Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section............of the Government of India Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the introduction of the Central Provinces and Berar.. Bill, 194 (No. ....of 194).

I introduce the Central Provinces and Berar.............................. ....Bill, 194 (No. ....of 194), is introduced.

The Honourable..
(Minister for...):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar..............
.... Bill, 194
(No. ....of 194), be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

(Speech of the Honourable Minister)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar............................
.... Bill, 194
No. ....of 194), be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon."

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar..........................
.... Bill, 194
(No. ....of 194), be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon."

Those who are in favour of the motion will please say "Aye" : Those who are against the motion will please say "No" : I think the "Ayes" / "Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

[क्रमांक २]

मध्यप्रान्त और बरार—— – ————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई.

(संख्या——————संवत् १९४ ई.).

———

माननीय पण्डित/श्रीयुत्————————————(———————— मन्त्री)

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउन्स) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ प्रान्तपति ने मध्यप्रान्त और बरार——————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) के पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) के लिये भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट), संवत् १९३५ ई. की धारा——————————————के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सैंक्शन)/अभिस्ताव (रिकमेन्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और बरार——————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. का पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रान्त और बरार——————————————(संशोधन), विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————————संवत् १९४ ई.) पुरःस्थापित (इन्ट्रोडचूस) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत्——————————————(————————— मन्त्री) : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वसाधारण की मति जानने के लिये मध्यप्रान्त और बरार ————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) का परिवहन (सर्क्यूलेशन) किया जावे.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि—

"सर्व साधारण की मति जानने के लिये मध्यप्रांत और बरार———————— ————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या———————— संवत् १९४ ई.) का परिवहन (सर्क्यूलेशन) किया जावे."

[इस प्रस्ताव पर और वादविवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"सर्व साधारण की मति जानने के लिये मध्यप्रान्त और बरार———————— ————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या———————— संवत् १९४ ई.) का परिवहन (सर्क्यूलेशन) किया जावे."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

———

[III

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

....BILL, 194 (No. .... of 194)

———

The Honourable ....
(Minister for ....):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar..............
....Bill, 194 (No. ....of 194),
be referred to a Select Committee consisting of the following members :

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of more than eight members including the Minister-in-Charge unless leave is obtained by a motion made in the House : *vide* Rule 74 (2) of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules]

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar..
Bill, 194 (No. ....of 194), be referred to a Select Committee composed as proposed."

(Further debate on the Motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar..
Bill, 194 (No. ....of 194), be referred to a Select Committee composed as proposed."

Those who are in favour of the motion will please say "Aye": Those who are against the motion will please say "No": I think the "Ayes"/"Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

———

[क्रमांक ३]

मध्यप्रान्त और बरार ---------------- ----(संशोधन) विधयक (बिल), संवत् १९४ ई.

(संख्या--------------संवत् १९४ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत्------------------------(-------------- मन्त्री) :

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और बरार-------------(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या-----------------------संवत् १९४ ई.) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे, जिसके निम्न सदस्य होंगे :—

[केवल आठ ही नाम दिए जावें, क्यों कि किसी प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) में सभा से प्रस्ताव द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित आठ से अधिक सदस्य न हो सकेंगे : नियम ७४ (२) देखिए.]

[माननीय मन्त्री जी का भाषण]

(भाषण के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

"मध्यप्रान्त और बरार --- (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या--------------------संवत् १९४ ई.) प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज्ड एँज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे."

[इस प्रस्ताव पर और वादविवाद]

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"मध्यप्रांत और बरार-------------------------------------- (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या-------------------संवत् १९४ ई.) प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज्ड एँज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

[IV.

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

...............................BILL, 194 (No. ......of 194)

The Honourable ....
(Minister for ....):
Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar................ Bill, 194 (No. ....of 194), be referred to a Select Committee consisting of the following members with a direction that the Select Committee shall present its report before..............194 :—

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of more than 8 members including the Minister-in-Charge unless leave is obtained by a motion made in the House : *vide* Rule 74 (2) of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.]

(Speech of the Honourable Minister)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar.................................
Bill, 194 (No. ....of 194) be referred to a Select Committee composed as proposed with a direction that the Select Committee shall present its report before....................194 ."

(Further debate on the motion)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar.................................
Bill, 194 (No. ....of 194), be referred to a Select Committee composed as proposed with a direction that the Select Committee shall present its report before....................194 ".

Those who are in favour of the motion will please say "Aye" : Those who are against the motion will please say "No" : I think the "Ayes"/"Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

[क्रमांक ४]

मध्यप्रांत और बरार————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई.

(संख्या— ————संवत् १९४ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत्————————————— (——————— मन्त्री)

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और बरार——————————
(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या—————————— १९४ ई.)
प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे, जिसके निम्न सदस्य होंगे. प्रवर समिति को यह निर्देशन दिया जाता है कि वह अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दिनांक ————————संवत् १९४ ई. से पूर्व उपस्थित करे :—

[केवल आठ ही नाम दिये जावें, क्योंकि प्रवर समिति में सभा से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित आठ से अधिक सदस्य न हो सकेंगे: नियम ७४ (२) देखिए]

[माननीय मन्त्री जी का भाषण]

(भाषण के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

"मध्यप्रान्त और बरार ———————————————————— (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या————————————संवत् १९४ ई.) प्रस्थापनानुसार रचित (कम्पोज्ड एॅज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे. प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को यह निर्देशन दिया जाता है कि वह अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दिनांक—— ——————संवत् १९४ ई. से पूर्व उपस्थित करे."

[इस प्रस्ताव पर और वादविवाद]

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"मध्यप्रान्त और बरार————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई. (संख्या ————————संवत् १६४ ई.) प्रस्थापनानुसार रचित (कम्पोज्ड एँज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे. प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दिनांक————————संवत् १६४ ई. से पूर्व उपस्थित करे."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

[V

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

..................................BILL, 194 (No. ....of 194).

The Honourable .... (Minister for ....): Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section..............of the Government of India Act, 1935, has been given by His Excellency the Governor to the introduction of the Central Provinces and Berar.. Bill, 194 (No. ....of 194).

I introduce the Central Provinces and Berar ....Bill, 194 (No. ....of 194).

The Honourable the SPEAKER : The Central Provinces and Berar...... ....Bill, 194 (No. ....of 194), is introduced.

The Honourable... (Minister for ....): Mr. Speaker, Sir, I move that the Central Provinces and Berar.............. .... Bill, 194 (No. ....of 194), be referred to a Select Committee consisting of the following members :—

[Only eight names to be given as no Select Committee is to consist of more than eight members including the Minister-in-Charge unless leave is obtained by a motion made in the House : *vide* Rule 74 (2) of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.]

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the provisions of rule 72 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar.................................
.... Bill, 194
(No. ....of 194), be referred to a Select Committee composed as proposed."

(Further debate on the motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar.................................
....Bill, 194
(No. ....of 194), be referred to a Select Committee composed as proposed."

Those who are in favour of the motion will please say "Aye" : Those who are against the motion will please say "No": I think the "Ayes"/"Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

[क्रमांक ५]

मध्यप्रान्त और बरार————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई.

(संख्या—————————संवत् १९४ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत्—————————— (——————————मन्त्री):

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउन्स) करता हूँ कि परमश्रेष्ठ प्रान्तपति ने मध्यप्रान्त और बरार——————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई.), के पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) के लिये भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट), संवत् १९३५ ई. की धारा ——————के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सँक्शन)/अभिस्ताव (रिकमेन्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और बरार————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. का पुरःस्थापन (इन्ट्रोडक्शन) करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय: मध्यप्रान्त और बरार————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई.) (संख्या——————————संवत् १९४ ई.) पुरःस्थापित (इन्ट्रोडयूस) हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत्——————————— (——————————— मन्त्री):

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रान्त और बरार————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई., प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे, जिसके निम्न सदस्य होंगे :—

[केवल आठ ही नाम दिये जावें, क्योंकि किसी प्रवर समति (सिलेक्ट कमीटी) में सभा से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रभारी मन्त्री (मिनिस्टर-इन-चार्ज) सहित आठ से अधिक न हो सकेंगे: नियम ७४ (२) देखिए.]

[माननीय मन्त्री जी का भाषण]

(भाषण के पश्चात्)

[यदि सभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे, तो प्रस्तावक माननीय अध्यक्ष महोदय से नियम ७४ (२) के प्रावधानों (प्रावीजन्स) के प्रवर्त्तन (आपरेशन) का निलम्बन (सस्पेन्ड) करने की प्रार्थना करें और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलावे.]

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि——

"मध्यप्रान्त और बरार————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई.), प्रस्थापनानुसार निर्मित (कम्पोज्ड ऍज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे."

[इस प्रस्ताव पर और वादविवाद]

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि——

"मध्यप्रान्त और बरार————————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई. प्रस्थापनानुसार रचित (कम्पोज्ड ऍज प्रपोज्ड) प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) को सौंपा जावे."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

———

[VI

THE CENTRAL PROVINCES AND BERAR

..................................BILL, 194 (No. ....of 194).

———

The Honourable.. (Minister for ....): Mr. Speaker, Sir, I rise to announce that the previous sanction/recommendation required by section..............of the Government of India Act, 1935, to the amendment(s) made by the Select Committee in the Central Provinces and Berar.. .... Bill, 194 (No. ....of 194), has been given by His Excellency the Governor. I beg to present the report of the Select Committee on the Central Provinces and Berar... Bill, 194 (No. ....of 194).

The Honourable the SPEAKER : The report of the Select Committee on the Central Provinces and Berar......................................
.............................Bill, 194 (No. ....of 194), is presented.

The Honourable ....
(Minister for..) : Sir, I now move that the Central Provinces and Berar......................
....................................Bill, 194 (No. ....of 194), as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

(Speech of the Honourable Minister)

(After speech)

(If objection is taken by any member of the House to the motion for consideration, reasons to be given showing urgency with a request to the Honourable the Speaker for suspending the operation of the provisions of rule 79 of the Central Provinces and Berar Legislative Assembly Rules.)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar.............................
Bill, 194 (No. ....of 194), as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

(Further debate on the motion)

(After debate)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar...............................
Bill, 194 (No. ....of 194), as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

Those who are in favour of the motion will please say "Aye" : Those who are against the motion will please say "No" : I think the "Ayes"/"Noes" have it. (After a pause) "Ayes"/"Noes" have it.

The Honourable the SPEAKER : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause. I will take up the clause to which amendments have been moved and will then put a clause.

The question is that clauses.....................................(as amended by the House) do stand part of the Bill. Those who are in favour,etc.

The question is that clause 1 do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The question is that the long title and the preamble do stand part of the Bill. Those who are in favour, etc.

The Honourable ....
(Minister for ....) : Mr. Speaker, Sir, I now move that the Central Provinces and Berar..........
.... Bill, 194 (No. ....of 194), as amended by the House, be passed into law.

(Speech of the Honourable Minister, if any)

The Honourable the SPEAKER : Motion moved—

"That the Central Provinces and Berar.................................. Bill, 194 (No. ....of 194), as considered by the House, be passed into law."

(After debate, if any)

The Honourable the SPEAKER : The question is—

"That the Central Provinces and Berar.................................. Bill, 194 (No. ....of 194), as considered by this House, be passed into law." Those who are in favour, etc.

[क्रमांक ६]

मध्यप्रांत और बरार——— ————–——— (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई.

(संख्या——–————–संवत् १६४ ई.)

माननीय पण्डित/श्रीयुत्—————————— (————————— मन्त्री)

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन (अनाउन्स) करता हूँ कि मध्यप्रान्त और बरार——— ——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई. (संख्या—————— ——————संवत् १६४ ई.), मैं प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) द्वारा किये गये संशोधन (संशोधनों) को परमश्रेष्ठ प्रान्तपति ने भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट), संवत् १६३५ ई. की धारा ——————के अनुसार अपेक्षित पूर्व सम्मोदन (सैंक्शन)/अभिस्ताव (रिकमेन्डेशन) प्रदान किया है.

मैं मध्यप्रान्त और बरार———————————————————(संशोधन) विधेयक (बिल) संवत् १६४ ई. (संख्या——————संवत् १६४ ई.), पर प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रान्त और बरार——————————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई. (संख्या———————————संवत् १६४ ई.), पर प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) उपस्थित हुआ.

माननीय पण्डित/श्रीयुत्——————————— (————————— मन्त्री)

श्रीमन्, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित (एँज रिपोर्टेड) मध्यप्रान्त और बरार——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई. (संख्या—— ——————संवत् १६४ ई.), पर विचार किया जावे.

[माननीय मन्त्री जी का भाषण]

(भाषण के पश्चात्)

[यदि सभा का कोई सदस्य उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति करे, तो प्रस्तावक माननीय अध्यक्ष महोदय से नियम ७६ के प्रावधान (प्राविजन्स) के प्रवर्त्तन (ऑपरेशन) के निलम्बन (सस्पेण्ड), करने की प्रार्थना करे और तदर्थ आवश्यकता के कारण बतलावे.)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (मोशन मूव्ड) कि—

"प्रवर समिति (सिलेक्ट कमीटी) द्वारा प्रतिवेदित (एँज रिपोर्टेड) मध्यप्रान्त और बरार——— ——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १६४ ई. (संख्या—— —————संवत् १६४ ई.) पर विचार किया जावे."

[इस प्रस्ताव पर और वादविवाद]

(वादविवाद के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

" प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रान्त और बरार—————————— (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. पर विचार किया जावे."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें. जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें. मैं समझता हूँ कि "हां"/"ना" वाले जीत गए. (विराम के पश्चात्) "हां"/"ना" वाले जीत गए.

माननीय अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डश: (क्लाज़ बाई क्लाज़) विचार करेगी. पहले मैं उन खण्डों को लूंगा जिन पर संशोधन प्रस्तुत हुए हैं.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और बरार——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. का/के (इस सभा द्वारा संशोधित) खण्ड——————इस विधेयक (बिल) का अंग बनें. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रान्त और बरार——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————संवत् १९४ ई.) का खण्ड १ इस विधेयक का अंग बने. जो इस प्रस्ताव के पक्ष के हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा प्रस्तावना (प्रिएम्बल) इस विधेयक का अंग बनें. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

माननीय पण्डित/श्रीयुत्——————————(——————मन्त्री) :

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा द्वारा संशोधित मध्यप्रान्त और बरार ——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई.) विधि बनें.

(माननीय मन्त्री जी का भाषण, यदि वे कोई दें)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

"इस सभा द्वारा विचारित मध्यप्रान्त और बरार——————————(संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई.) विधि बनें."

(वादविवाद के पश्चात्, यदि कोई हो)

माननीय अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"इस सभा द्वारा विचारित (एँज कन्सीडर्ड) मध्यप्रान्त और बरार—————————— (संशोधन) विधेयक (बिल), संवत् १९४ ई. (संख्या——————————संवत् १९४ ई.), विधि बनें."

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें, इत्यादि.

GPN—6—SLAD—12-7-48—5,000.

(f)

सीरिज़ : 1

विधान सभाओं में प्रायः प्रयोग में आनेवाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय

- जी. एस. गुप्ता

Series 1: नवंबर, 1947

[Series 1

Words of general use in the Legislative Assemblies rendered into Hindi

विधान सभाओं में प्रायः प्रयोग में आनेवाले अंग्रेज़ी शब्दों के हिन्दी पर्याय

BY

G. S. GUPTA

Speaker, C. P. and Berar Legislative Assembly, Nagpur

कमला सद्गोपाल पब्लिक ट्रस्ट
की ओर से भेंट
kamalasadgopalpublictrust@gmail.com

PREFACE TO THE SECOND EDITION

After the First Edition of the First Series, I heard a complaint that the terms have rather become difficult. To meet that objection three *paragraphs have been added to the Foreword.

I would earnestly request the readers first to go through the Foreword carefully, as in fact it gives the background of the whole scheme.

NAGPUR:

The 30th November 1947. G. S. GUPTA.

*Shown by asterisks in the Foreword to the First Edition.

द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना

प्रथम पुष्प के प्रथम संस्करण के पश्चात् मैंने एक शिकायत सुनी कि शब्द कुछ कठिन हो गये हैं. इस के उत्तर में कुछ *शब्द प्राक्कथन में जोड़ दिये गये हैं.

पाठक महोदयों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे पहले प्राक्कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कृपा करें क्योंकि वास्तव में इस सारी योजना का आधार उस में निर्दिष्ट है.

नागपुर :

दि॰ ३० नवम्बर सन् १९४७ ई. घनश्यामसिंह गुप्त.

*कृपया प्राक्कथन में तारे के चिन्ह द्वारा सूचित कंडिकाएं देखें.

FOREWORD

Section 85 of the Government of India Act having been dropped, we are now free to use our own languages which we are, or should be, determined to do.

There are bound to be difficulties in the way. They have to be overcome. They may delay the progress but not the start. We have, therefore, made a beginning.

The words and phrases given here have been in many cases chosen after hours of deliberation and discussion. They may not, therefore, be easily rejected in favour of some other words. But we are all open to suggestions. Our words and phrases will appear new and to some, queer also. But that cannot be avoided. Their use only will melt these objections.

There is a common fallacy which I would like to meet. It is said that the words in common use should be adopted. That of course is true to a certain extent only. But when we travel beyond, it blocks the way and offers irresistible hindrance to progress. Basic English consists of about a thousand words and can well serve for ordinary use. But we have more than fifty thousand words, even in a sub-branch of any science, *e.g.*, anatomy. The words in common parlance are loose and do not express fine shades of thought. "President" is good enough for the person presiding in any sort of meeting in Gandhi Chowk. But you cannot say, "Mr. President" when you are addressing the House of Commons, the Legislative Assemblies, the Calcutta Corporation or the Board of Directors of a Limited Company. The one is a Speaker, the other a Mayor and the third a Chairman. So also "Station" is good enough, even in Hindi, when the tongawala is asked to whip the horse to catch the approaching train. But when we have to fix Hindi words with exact meaning, for different sorts of stations, *e.g.*, Military Station, Meteorological Station, Radio Station, or for its derivatives, *e.g.*, "Stationed" (as in "American military is stationed in Tokyo") then the universal use of even such a current and common English word as "Station" would not serve. Instances can be multiplied. Further, if in any specialized branch of knowledge or administration we keep one current word of foreign origin, it must bring in its train, dozens of derivatives and compounds which are in no sense common. The question simply resolves itself to this. Either we should retain one common word and be thereby burdened with dozens of its uncommon derivatives and compounds, or reject one such word and be free from the heavy burden. The answer can only be one.

This perforce carries us to another step, *viz.*, with regard to words of Arabic and Persian origin. I am one of those who believed that we should and could keep such words. But the more I think, or should I say, the more I do the job of framing Hindi words, the more I see their impracticability in specialized branches of knowledge and administration. There is no go from the position that we have to choose either Sanskrit roots or Arabic and Persian. We cannot have both except in common parlance. To give only one example and only a few of its derivatives, let us take "Law". "Law" has to be distinguished from Rules, Ordinances, Regulations, Orders and a lot others.

Its derivatives and compounds have also to be provided for. For "Law" alone it is easy to adopt a current Arabic word कानून. But if we have to make provision for the whole series then we must either reject the word कानून, howsoever current and dear it may be, or we must adopt quite a lot others to meet our requirements. That must necessarily bring in new words of Persian and Arabic origin, which are uncommon and have little affinity with our languages even as they are today. This process will endlessly multiply. Now to our illustration :—

English		Hindi based on Sanskrit		Urdu based on Arabic
Law	..	विधि	..	कानून.
Legal	..	वैध	..	कानून मुरव्वजा.
Legalist	..	विधिपरायण	..	निजाम बिल अम्ल का कायल.
Lawless	..	विधिहीन or विधिविरुद्ध	..	कानून शिकन or मुताल्लिक-उल्-एनान.
Legislative	..	विधायी	..	मुकन्नन: or कानून साजान:
Legislator	..	विधायक	..	मुकन्नन.
Law-maker	..	विधिकर्ता	..	वाजये कवानीन.

The word "Law" has no less than about fifty derivatives and compounds and only six have been taken at random to illustrate the point. In specialized branches of knowledge and administration we must choose either the Sanskrit roots or Arabic and Persian. We have decided in favour of Sanskrit roots and the reasons are obvious. One important reason is that their words are common to most of the provinces of the Dominion of India. Hindi, Marathi, Gujrati, Bengali are all of Sanskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly, Telugu, Canarese, and Malayalam are highly nurtured by Sanskrit.

*A few friends are said to have remarked that the terms are rather difficult. I must deny the charge. It is certainly true that to many of us, most of the words are new or are new in their application or setting. In that sense every new word or its new use would become difficult. That simply cannot be avoided unless all advanced thought in various branches of knowledge could be bottled in the few words of our ordinary use. It would be sheer ignorance to suppose that our vocabulary of Hindi or Marathi in current use would suffice for the highly technical branch of administration that legislature (and law-making) surely is, when it cannot suffice even for Elementary Algebra or Trigonometry.

*A man who can speak fluent Hindi or Marathi in any public meeting would be at sea, if you give him any page of an ordinary book of Chemistry or Physics, or for the matter of that of any other book in a special branch of knowledge or administration. This limitation is in no way peculiar to Hindi or Marathi. The same is true for all languages in the world including English. Even a student who has passed his M.A. in the first division with English literature as his subject cannot follow one single page of Integral Calculus, Conic Section or without coming across a lot of new words a single page of the Law of Contract. When such is the case with English why should there be any wonder in the case of Hindi or Marathi.

---

*These paragraphs have been inserted as stated in the Preface to the Second Edition.

*Now let us see if the Hindi terms are difficult in themselves apart from the difficulty involved in their newness. My claim is that they are extremely simple, if once we get used to them. They stick to our memory more easily than corresponding English words to that of an Englishman. And the reason is obvious. Our words are not empirical but scientific. The words speak the meaning they are intended to convey. Being based on Sanskrit roots, our words are meaningful, unlike English where most words *per se* carry no meaning except by association of thought. Take for example the word "Bill". It signifies nothing by itself and indicates no connection with the word "Law". From the word itself you cannot say that "Bill" is the पूर्वरूप (precursor) of Law. On the contrary the word "विधेयक" *per se* speaks the meaning. That which is in the process of becoming "विधि" is "विधेयक". Such instances are numerous and it would be needless to burden this short preface with any more. As to their newness also, I may add that they appear new to us of this generation, who are changing over to Hindi and Marathi from English to which we have become habituated.

This is the first instalment of the series which we wish to publish.

I must express my gratitude for the help given by Dr. Raghuvira for whose capacity and knowledge I have sincere regards. He has been working in the domain of Sciences, Arts and Commerce, for providing suitable terminologies. Our words, therefore, based as they are on his system, will be one organic whole with the rest of the departments of knowledge and administration. He has profusely drawn words from our ancient and mediaeval literature.

G. S GUPTA.

*This paragraph has been inserted as stated in the Preface to the Second Edition.

प्राक्कथन

भारतीय शासन विधान की ८५ वीं धारा निकल जाने के कारण अब हम अपनी भाषा का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र हैं और अब हम यह करने के लिये कटिबद्ध भी हैं.

इसके मार्ग में कठिनाइयां होना अनिवार्य है और उनका हमें सामना करना होगा. इनसे प्रगति में विलम्ब हो सकता है पर प्रारम्भ करने में नहीं. अतः हमने प्रारम्भ कर ही दिया है.

इस पुस्तिका में दिये हुए शब्दों का चुनाव कभी कभी घण्टों के विचार और विवाद के पीछे हुआ है, इसलिये उनको योंही हटाकर दूसरे शब्द रख देना उचित न होगा. तो भी नए सुझावों पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं. बहुत से शब्द और पद विचित्र और नये से लगेंगे, किन्तु इससे हम बच नहीं सकते. उन शब्दों का प्रयोग ही उन आक्षेपों को मिटा सकता है.

एक सामान्य भ्रम है जिसको मैं दूर करना चाहता हूं. कहा जाता है कि जो शब्द प्रचलित हो गये हैं उनको ही रखना चाहिये, किन्तु यह एक हद तक ही सम्भव हो सकता है; किन्तु जब हम आगे बढ़ते हैं तो इससे हमारा रास्ता रुक जाता है और प्रगति में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है.

मौलिक अंग्रेजी में लगभग १,००० शब्द हैं जिनसे साधारण सब काम चल सकता है, किन्तु किसी विज्ञान के एक अंग में ही हजारों शब्द हैं. साधारण प्रयोग के शब्द बहुत ढीले पोले हैं—उनसे विचार के सूक्ष्म भाव व्यक्त नहीं होते. गांधी चौक में होने वाली सभा के लिये "सभापति" शब्द चल सकता है, किन्तु विधान सभा में भाषण देते हुए, कलकत्ता कारपोरेशन, या लिमिटेड कम्पनी के प्रमुखों को आप "सभापति महोदय" नहीं कह सकते. एक को "स्पीकर," दूसरे को "मेयर" और तीसरे को "चेयरमन" कहना पडगा. इसी प्रकार तांगेवाले से गाड़ी पकड़ने के लिये "स्टेशन ले चलो" कहने से काम चल सकता है. किन्तु भिन्न भिन्न केन्द्रों, जैसे रेडियो, सेना आदि के केन्द्रों के लिये "स्टेशन" कहना हास्यास्पद होगा; अथवा उससे बनने वाले शब्दों जैसे stationed के लिये आप क्या कहेंगे? इस प्रकार "स्टेशन" सरीखा प्रचलित शब्द भी सभी जगह काम न देगा. इस तरह के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं. विज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में या शासन की शाखा में यदि हम एक विदेशी प्रचलित शब्द रखते हैं, तो हमें उसके साथ उससे निकले हुए बीसियों व्युत्पन्न और संयुक्त शब्द ग्रहण करने पड़ेंगे जो कि नितान्त अप्रचलित हैं. सारा प्रश्न सीधा यह है—या तो हम एक प्रचलित शब्द के साथ उसका सारा अप्रचलित परिवार अपने ऊपर लादें, अथवा उसे छोड़कर इस सारे भार से मुक्त हो जावें. इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है.

इससे हम हठात् दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं. अरबी और फारसी से निकले हुए शब्दों के विषय में भी सोचना पड़ेगा. पहले मैं भी समझता था कि हम इस प्रकार के शब्द ले सकते हैं. किन्तु जितना अधिक मैं विचार करता हूं, या यों कहूं कि हिन्दी शब्द गढ़ने का काम करता हूं, तो विशेष विज्ञानों और शासन के कार्यों में इस को असम्भव पाता हूं. हमें या तो संस्कृत धातुओं से शब्द लेना होगा अथवा फारसी अरबी से—साधारण बोलचाल की भाषा की सीमा से आगे हम दोनों को एक साथ ले नहीं सकते. Law शब्द ही को ले लीजिये. हमें Rules, Ordinances, Regulations, Orders आदि अनेक शब्दों में भेद करना होगा. व्युत्पन्न और संयुक्त शब्दों को भी गढ़ना पड़ेगा. केवल Law के लिये

"कानून" शब्द प्रचलित है, किन्तु जब हमें उससे संबंधित अनेक शब्द बनाने पड़ते हैं तब या तो हम अनेकों फारसी और अरबी के सर्वथा अप्रचलित शब्दों को लेना पड़ेगा जिनका हमारी भाषा से कोई संबंध नहीं, अथवा "कानून" सरीखे प्रचलित और प्रिय शब्द को भी छोड़ना पड़ेगा. यह चक्र बढ़ता ही जावेगा. अब "कानून" के उदाहरण को लीजिये :—

अंग्रेजी	संस्कृत के आधार पर हिन्दी	अरबी के आधार पर उर्दू
Law ..	विधि ..	कानून.
Legal ..	वैध ..	कानून मुरव्वजा.
Legalist ..	विधिपरायण ..	निजाम बिल अम्ल का कायल.
Lawless ..	विधिहीन or विधिविरुद्ध ..	कानून शिकन or मुताल्लिक-उल्-एनान.
Legislative ..	विधायी ..	मुकन्नन: or कानून साजान:
Legislator ..	विधायक ..	मुकन्नन.
Law-maker ..	विधिकर्ता ..	वाजये कवानीन.

Law शब्द के परिवारमें पचास से कम शब्द न होंगे. इनमें से केवल छ: ही उदाहरण के लिये दिये गये हैं. विशिष्ट क्षेत्रों के लिये हमें या तो संस्कृत धातुओं से शब्द बनाने पड़ेंगे अथवा अरबी फारसी से—बीच का कोई रास्ता नहीं. हमने संस्कृत से शब्द बनाने का निश्चय किया है. कारण स्पष्ट है. एक मुख्य कारण यह है कि भारत संघ के अधिकांश प्रान्तों में वे शब्द समान हैं. हिन्दी, मराठी, बँगला, गुजराती आदि सभी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और दक्षिण की द्राविड़ी भाषाओं में भी कन्नड़, तेलगू, मलयाली संस्कृत प्रचुर हैं.

*कुछ मित्रों का यह आक्षेप सुना गया है कि इस पुस्तिका के शब्द कुछ कठिन हो गये हैं. मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता. यह नि:सन्देह सच है कि हम लोगों में से बहुतों के लिये इसके अनेकों शब्द अथवा उनका प्रयोग नवीन है. इस दृष्टि से तो प्रत्येक नया शब्द (अथवा उसका नूतन प्रयोग) कठिन कहा जा सकता है. इस स्थिति से कभी छुटकारा मिल नहीं सकता, जब तक कि ज्ञान की अनेक शाखाओं के समस्त प्रगतिशील विचारों को हम अपने सामान्य प्रयोग के शब्दों तक ही (जो बहुत थोडे हैं) सीमित न रख सकें. यह कल्पना करना निपट अज्ञानता होगी कि हमारे साधारण बोल-चाल का हिन्दी अथवा मराठी शब्द-कोष, विधान-सभा (अथवा विधि-सूचना) जैसे विशेष ज्ञान के विषय के लिए पर्याप्त होगा, जब कि वह प्रारम्भिक बीजगणित अथवा त्रिकोणमिति के समान विषयों के लिए भी पर्याप्त नहीं है.

*जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक सभा में हिन्दी अथवा मराठी में धाराप्रवाह भाषण दे सकता है, उसे यदि आप रसायन-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञान की साधारण पुस्तक का भी कोई पृष्ठ दें, तो उसे वह समझ नहीं सकेगा. यही बात किसी प्रशासन की विशिष्ट शाखा विषयक पुस्तक की भी है. यह अड़चन हिन्दी अथवा मराठी की ही नहीं—यह तो संसार की समस्त भाषाओं को भी लागू होती है, और अंग्रेजी को भी. जो विद्यार्थी अंग्रेजी साहित्य लेकर एम. ए. की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हो वह भी चलन कलन (Integral Calculus) किंवा शांकव छेद (Conic Section) का एक पृष्ठ भी न समझ सकेगा और प्रसंविदा अधिनियम (Contract Act) के किसी पृष्ठ में अनेकों नवीन शब्द पावेगा. जब अंग्रेजी में यह दशा होती है तो हिन्दी तथा मराठी में क्यों आश्चर्य होना चाहिये.

*अब हम यह देखें कि हिन्दी के शब्द (उन की नवीनता के अतिरिक्त) क्या स्वयं भी कठिन हैं. मेरा दावा है कि यदि हम उनसे अभ्यस्त हो जावें तो वे अत्यन्त ही सरल लगेंगे. वे हमें इतनी सुगमता से याद हो जाते हैं जितनी सरलता से अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों को भी याद नहीं हो सकते. इसका कारण सुस्पष्ट है. हमारे शब्द काल्पनिक नहीं वरन् वैज्ञानिक हैं. शब्द स्वयं ही अर्थ को बताते हैं. हमने संस्कृत के

* योकंडिकाएं जोडी गई हैं जैसा कि द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है.

मूल शब्दों का आधार लिया है. अतः वे अर्थगर्भित हैं. इसके विपरीत अंग्रेजी में अधिकांश शब्द स्वयं अर्थ के द्योतक नहीं होते. उनका अर्थ व्यवहार से ही स्थिर होता है. उदाहरण के लिये "Bill" (बिल) शब्द को लीजिये. बिल अन्त में जाकर "Law" (लॉ) बनता है. "बिल" "लॉ" का पूर्व रूप है. परंतु अंग्रेजी के "बिल" शब्द और "लॉ" शब्द में कोई शाब्दिक सम्बन्ध नहीं है. केवल "ला" शब्द को जाननेवाला आदमी "बिल" शब्द के अर्थ का कुछ भी अनुमान नहीं कर सकता. इसके प्रतिकूल हमारे "विधि" और "विधेयक" शब्दों को लीजिये. "विधि" शब्द के अर्थ को जाननेवाला "विधेयक" शब्द के अर्थ का अनुमान लगा सकता है. जो आगे जाकर विधि बने वह "विधेयक". विधेयक शब्द अर्थगर्भित है, सार्थक है. जिस भाव का वह द्योतक है उसे वह शब्द ही स्वयं बता सकता है. "बिल" के सदृश मूक नहीं, काल्पनिक नहीं.

हम जो माला प्रकाशित करना चाहते हैं उसकी यह प्रथम कड़ी है.

मैं डॉ. रघुवीर का उनकी सहायता के लिये उपकृत हूं. उनकी योग्यता और ज्ञान के लिय मुझे बड़ा आदर है. वे विज्ञान, कला और वाणिज्य की शब्दावली बनाने में परिश्रम कर रहे हैं. हमारे शब्द जो कि उन्हीं की पद्धति के अनुसार गढ़े गये हैं, विज्ञान तथा शासन के अन्य विभागों के अंगभूत होंगे और इस प्रकार एकांगी नहीं रहेंगे. उन्होंने हमारे प्राचीन और माध्यमिक काल में प्रचलित प्रचुर भाण्डार से भी शब्द लिये हैं.

घनश्यामसिंह गुप्त.

पर्याय शब्दावली

A

Abstract Budget (बजट एब्स्ट्रैक्ट) : संक्षिप्त आयव्ययक.
Account (एकाउण्ट) : लेखा.
Account, Appropriation (एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट) : नियोजन लेखा.
Account, Audited (एकाउण्ट, आडिटेड) : अंकेक्षित लेखा.
Account, Detailed (डिटेल्ड एकाउण्ट) : सविस्तार लेखा (विस्तार लखा).
Act (एक्ट) : क्रियाकार, अधिनियम (To enact : क्रियाकार करना, अधिनियम बनाना).
Additional Secretary (एडीशनल सेक्रेटरी) : अपर सचिव.
Administration (एडमिनिस्ट्रेशन) : प्रशासन.
Administration, Civil (सिविल एडमिनिस्ट्रेशन) : जानपद (असैनिक) प्रशासन.
Administration, General (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) : सामान्य प्रशासन.
Administration of Justice (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस) : न्याय प्रशासन.
Adopted, The motion was (दि मोशन वाज एडाप्टेड) : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
Advances, Repayable (रिपेएबल एडवान्सेस) : प्रतिशोध्य अग्रिम.
Agenda (एजेन्डा) : कार्यावली.
Agenda, Item on the (आइटम ऑन दि एजेन्डा) : कार्यावली का पद.
Agriculture Department (एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट) : कृषि विभाग.
Agriculture Minister (एग्रिकल्चर मिनिस्टर) : कृषि मंत्री.
Agricultural Warehouse (एग्रिकल्चरल वेयरहाउस) : कृषि कोष्ठागार.
Aid, Grant in (ग्रेन्ट इन एड) : सहायक अनुदान.
Allegiance (एलीजिएन्स) : अनुषक्ति.
Allegiance, Oath of (ओथ ऑफ एलीजिएन्स) : अनुषक्ति-शपथ
Allowance (अलाउन्स) : अधिदेय.
Allowance, Superannuation (सुपरएन्युएशन अलाउन्स) : अधिवार्षिक अधिदेय.
Allowance, Travelling (ट्रावलिंग अलाउन्स) : यात्रा अधिदेय.
A.M., 5 (५ ए. एम.) : ५ म. पू. (मध्यान्ह पूर्व). [*cf*. 5 P.M. (५ पी. एम.) : ५ म. प. (मध्यान्ह पश्चात्).]
Amendment (अमेन्डमेंट) : संशोधन.
Answers, Questions and : (क्वेश्चन्स एन्ड एन्सर्स) प्रश्नोत्तर.
Assembly (असेम्ब्ली) : सभा.
Assembly Building (असेम्ब्ली बिल्डिंग) : सभा-भवन.
Assembly Chamber (असेम्ब्ली चेम्बर) : सभा-वेश्म, सभा-गृह.
Assembly, Constituent (कांस्टिटचुएन्ट असेम्ब्ली) : संविधान सभा.
Assembly, Legislative (लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली) : विधान सभा.
Assembly Office (असेम्ब्ली आफिस) : सभा कार्यालय.
Assembly Secretariat (असेम्ब्ली सेक्रेटेरियट) : सभा सचिवालय.
Assignment (असाइनमेंट) : अभिहस्तांकन.

A—*concld.*

Assistant Secretary (असिस्टेंट सेक्रेटरी) : सहायक सचिव

Audited Account (आडिटेड अकाउन्ट) : अंकेक्षित लेखा.

Aviation Department (एविएशन डिपार्टमेन्ट) : विमान विभाग.

Award (अवार्ड) : पंच निर्णय, विवाचन

Ayes (एज) : हां पक्ष

Ayes to the right : हां वाले दाहिनी ओर. (*cf.* Noes to the left: ना वाले बाईं ओर)

B

Balance (बेलेन्स) : शेष, आधिक्य, अन्तर

Balance, Unspent (अन्स्पेंट बैलेन्स) : अवीत शेष, बचत.

Bank (बैंक) : अधिकोष. [*cf.* treasury (ट्रेजरी) कोषागार].

Bank, Co-operative (कोआपरेटिव बैंक) : सहकारी अधिकोष.

Benches, Treasury (ट्रेजरी बेंचेज) }
Benches, Official (अफिशिएल बेंचेज) } : मंत्री-वर्ग.

Bill (बिल) : प्रस्तुत विधि, विधेयक (proposed law).

Bill, The——be passed into law (दि बिल बी पास्ड इन्टु ला) : विधेयक विधि बने, बनाया जावे.

Bill, I beg leave to introduce— No. : मैं विधेयक सं.····को पुरःस्थापन करने की अनुमति चाहता हूं.

Bill, The——be circulated for eliciting public opinion thereon : सर्व साधारण की मति जानने के लिये इस विधेयक का परिवहन किया जावे.

Bill, The——be referred to Select Committee : यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जावे (को अर्पण हो, को सुपुर्द हो).

Board (बोर्ड) : गण.

Board, Textile Control (टेक्स्टाइल कन्ट्रोल बोर्ड) : वान नियंत्रक गण.

Budget (बजेट) : आयव्ययक.

Budget, Abstract (एब्स्ट्रैक्ट बजट) : संक्षिप्त आयव्ययक.

Budget Department (बजेट डिपार्टमेंट) : आयव्ययक विभाग.

Budget Estimates (बजेट एस्टिमेटस्) : आयव्ययक आगणन.

Budget, Memorandum explanatory of the (मेमोरडम एक्स्प्लेनेटरी ऑफ दि बजट) : आयव्ययक की व्याख्या किंवा संक्षिप्त व्याख्या.

Budget, Supplementary (सप्लिमेंटरी बजट) : अनुपूरक आयव्ययक.

I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the Governor to meet the expenditure proposed to be made from the revenues of the Province during the year ending 31st March 1947, in respect of "Veterinary" : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९४७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में "पशुचिकित्सा" के लिये प्रान्तके आगम में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त प्रांतपति महोदय को १,००० रु. तक की रकम (राशि) दी जावे.

I move that the demand under the head "Veterinary" be reduced by Re. 1 : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "पशुचिकित्सा" के अन्तर्गत मांग में से एक रुपया घटाया जावे.

C

Capital (कैपिटल) : पूंजी.

Capital Expenditure (कैपिटल एक्स्पेंडिचर) : पूंजी व्यय.

Capital outlay on civil works outside the revenue accounts : आगम लेखे से बाहर जानपद कर्म पर पूंजी की लागत.

Capital outlay on electricity schemes : विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत.

Capital outlay on industrial development : औद्योगिक विकास में पूंजी की लागत.

Central Government (सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट) : केन्द्रीय शासन.

Chair, Please address the (प्लीज अड्रेस दि चेयर) : कृपया अध्यक्ष को संबोधन करें.

Chairman (चेयरमेन) : सभापति.

Chairmen, Panel of (पैनल ऑफ चेअरमेन) : सभापति-तालिका.

Chamber of Commerce (चेम्बर ऑफ कामर्स) : वाणिज्य-मण्डल.

Charges (चार्जेस) : प्रभार.

Charged expenditure (चार्जड् एक्स्पेन्डीचर) : प्रभार व्यय, प्रभृत व्यय.

Charges, Debt (डेट चार्जेस) : ऋण व्यय.

Charges, Extraordinary (एक्स्ट्राडिनरी चार्जेस) : असाधारण प्रभार.

Charges, Establishment (एस्टैब्लिश्मेन्ट चार्जेस) : स्थापना-प्रभार. [*cf.* Office expenses : कार्यालय व्यय ; and Salary of staff (सैलरी ऑफ स्टाफ) : कर्मचारि-वेतन].

Chief Secretary (चीफ सेक्रेटरी) : प्रधान सचिव.

Circular (सर्क्युलर) : परिपत्र.

Circulate (सर्क्युलेट) : घुमाना, परिवहन करना.

Civil Administration (सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन) : जानपद प्रशासन, असैनिक प्रशासन.

Civil Court (सिविल कोर्ट) : व्यवहारालय.

Civil Defence (सिविल डिफेन्स) : जानपद प्रतिरक्षा.

Civil Works (सिविल वर्क्स) : असैनिक कर्म, जानपद कर्म.

Clause (क्लाज) (part of a sentence) : वाक्यांश. (A single paragraph or sub-division of a document : खंड).

Clause, sub (सबक्लाज) : अनुखंड.

Clerk (क्लर्क) : लिपिक.

Clerk, Head (हेड क्लर्क) : मुख्यलिपिक.

Communication, Informal (इन्फार्मल कम्यूनिकेशन) : उपपत्र.

Commuted value of pension (कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेन्शन) : पूर्वसेवा वेतन की संराशि.

Complementary (काम्प्लीमेन्टरी) : संपूरक.

Congress party (काँग्रेस पार्टी) : कांग्रेस पक्ष.

Consider (कन्सीडर) : विचार करना.

Consideration (कन्सीडरेशन) : विचार.

Contingent Expenditure (कन्टिन्जेन्ट एक्स्पेंडिचर) : संभाव्य व्यय,

C—*concld.*

Contribution (कॉन्ट्रीब्यूशन) : अंशदान.

Contributional works (कॉन्ट्रीब्यूशनल वर्क्स) : अंशदान कर्म.

Controversy (कॉन्ट्रोवर्सी) : वादप्रतिवाद. (*cf.* debate : वादविवाद ; **dispute : विवाद).**

Co-operative Department (कोआपरेटिव डिपार्टमेंट) : सहकारि-विभाग.

Co-operative Land Mortgage Bank (कोआपरेटिव लेन्ड मार्गेज बेंक) : सहकारी भू-प्राधि अधिकोष.

Copy (कॉपी) : प्रतिलिपि, प्रति.

Corporation (कारपोरेशन) : निगम (ancient word).

Council (कौन्सिल) : परिषद्.

Council, Legislative (लेजिस्लेटिव कौंसिल) : विधान परिषद.

Court, University (युनिवर्सिटी कोर्ट) : विश्वविद्यालय सभा.

Criminal Law (क्रिमिनल लॉ) : दण्ड विधि.

Criminal Law Amendment Ordinance (क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट आर्डिनेंन्स) : दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश.

Cut motion (कट मोशन) : कर्तन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव.

Cut motion form (कट मोशन फॉर्म) : कर्तन प्रस्ताव प्रपत्र.

Cut, Token (टोकन कट) : प्रतीक कर्तन.

D

Date (डेट) : दिनांक, तिथि.

Debate (डिबेट) : वाद-विवाद.

Debenture (डिबेन्चर) : ऋण-पत्र.

Debt (डट) : ऋण.

Debt, Public (पब्लिक डेट) : लोक ऋण.

Debt services (डेट सर्विसेस) : ऋण व्यय.

Demand (डिमांड) : अभियाचन.

Demand, Supplementary (सप्लीमेन्टरी डिमांड) : अनुपूरक अभियाचन.

Department (डिपार्टमेन्ट) : विभाग.

- Agriculture——(एग्रिकल्चर) : कृषि विभाग.
- Aviation——(एविएशन) : विमान विभाग.
- Co-operative——(कोआपरेटिव) : सहकारि विभाग.
- Education——(एजूकेशन) : शिक्षा विभाग.
- Excise——(एक्साइज) : उत्पाद-कर विभाग, मादक-कर विभाग.
- Industry——(इन्डस्ट्री) : उद्योग विभाग.
- Medical——(मेडिकल) : चिकित्सा विभाग.
- Police——(पुलीस) : आरक्षी विभाग.
- Public Health——(पब्लिक हेल्थ) : लोक-स्वास्थ्य विभाग.

Deputy President (डेप्युटी प्रेसिडेन्ट) : उपप्रधान (really stands for प्रतिप्रधान).

Deputy Secretary (डेप्युटी सेक्रेटरी) : प्रतिसचिव.

D—*concld.*

Deputy Speaker (डेप्युटी स्पीकर) : उपाध्यक्ष (really stands for प्रत्याध्यक्ष).

Detailed Account (डिटेल्ड अकाउन्ट) : विस्तार लेखा, सविस्तार लेखा.

Development (डेवेलपमेन्ट) : विकास.

Development Minister (डेवेलपमेन्ट मिनिस्टर) : विकास मंत्री.

Discussion (डिस्कशन) : पर्यालोचन.

Discussion, General (जनरल डिस्कशन) : सामान्य पर्यालोचन.

Dispute (डिस्प्यूट) : विवाद, झगडा.

Ditto (डिट्टो) : तदेव.

Donation (डोनेशन) : दान.

Duty (ड्यूटी) : बलि.

E

Education (एजुकेशन) : शिक्षा, शिक्षण.

Education Department (एजुकेशन डिपार्टमेन्ट) : शिक्षा विभाग.

Education Minister (एजुकेशन मिनिस्टर) : शिक्षा मंत्री.

Elected Members (इलेक्टेड मेम्बर्स) : निर्वाचित सदस्य, चुने हुए सदस्य.

Election (इलेक्शन) : निर्वाचन, चुनाव.

Electoral Constituency (इलेक्टोरल कांस्टीटयूएन्सी) : निर्वाचन क्षेत्र.

Electricity Schemes (इलेक्ट्रिसिटी स्कीमस्) : विद्युत् योजनाएं.

Establishment Charges (एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेस्) : स्थापना प्रभार.

Estimates (एस्टेमेट्स) : आगणन.

Estimates, Budget (बजटएस्टेमेट्स) : आयव्ययक आगणन.

Excise (एक्साइज) : उत्पाद-कर, मादक-कर.

Excise Department (एक्साइज डिपार्टमेन्ट) : उत्पाद-कर विभाग, मादक-कर विभाग.

Excise Minister (एक्साइज मिनिस्टर) : मादक मंत्री.

Expenditure (एक्स्पेंडिचर) : व्यय.

- Capital——(कैपिटल) : पुंजी व्यय.
- Charged——(चार्जड्) : प्रभार व्यय, प्रभृत व्यय.
- Contingent——(कन्टिन्जेन्ट) : संभाव्य व्यय.
- Divisible——(डिवीजिबल) : भाज्य व्यय.
- Non-divisible——(नान डिवीजिबल) : अभाज्य व्यय.
- Famine——(फैमिन) : दुर्भिक्ष व्यय.
- Provisional——(प्रवीजनल) : अस्थायी व्यय.
- Voted or Votable——(वोटेड अथवा वोटेबल) : मतदेय व्यय, दत्तमत व्यय.
- Non-votable——(नान वोटेबल) : अमतदेयव्यय.
- Normal (new)——[नार्मल] (न्यू) : साधारण (नवीन) व्यय.
- Recurring——(रेकरिंग) : आवर्ती व्यय.
- Non-recurring——(नान रेकरिंग) : अनावर्ती व्यय.

Expenditure connected with post-war planning and development : युद्धोत्तर उपक्रमण और विकास व्यय.

Expenditure, Other revenue——connected with electricity schemes : विद्युत् योजनाओं से सम्बद्ध अन्य आगम व्यय.

E—*concld.*

Expenses, Medical (मेडिकल एक्स्पेन्सेस) : चिकित्सा व्यय.

Extraordinary (एक्स्ट्राऑर्डिनरी) : असाधारण.

——Charges (चार्जेस) : असाधारण प्रभार.

——Items (आइटम्स) : असाधारण पद.

F

Famine Expenditure (फेमिन एक्सपन्डिचर) : दुर्भिक्ष व्यय.

Famine Relief (फेमिन रिलीफ) : दुर्भिक्ष सहायता.

Finance Minister (फाइनान्स मिनिस्टर) : अर्थ मंत्री.

Food Minister (फुड मिनिस्टर) : अन्न मंत्री.

Forest Department (फारेस्ट डिपार्टमेन्ट) : वन विभाग.

Form (फॉर्म) : प्रपत्र.

G

Gallery (गैलेरी) : दीर्घा.

South——(साउथ) : दक्षिण दीर्घा.

Visitors'——(विजीटर्स) : दर्शक दीर्घा.

General Administration : सामान्य प्रशासन.

General Discussion : सामान्य पर्यालोचन.

Government (गवर्नमेन्ट) : शासन.

Central——(सेन्ट्रल) : केन्द्रीय शासन.

Local——(लोकल) : स्थानीय शासन.

Local Self——(लोकल सेल्फ) : स्थानीय स्वशासन

Members of——(मेम्बर्स ऑफ) : शासन सदस्य.

Governor, H. E. the(हिज् एक्सेलेन्सी दि गवर्नर) : परमश्रेष्ठ प्रान्तपति (*cf.* राष्ट्रपति : the Executive Head of the Federation of India in section 42 of the Draft Constitution).

Governor's Box (गवर्नर्स बॉक्स) : प्रान्तपति प्रकोष्ठ.

Grant (ग्रैन्ट) : अनुदान.

Grant-in-aid (ग्रैन्ट-इन-एड) : सहायक अनुदान.

Guarantee (गैरेन्टी) : प्रत्याभूति.

Guillotine (गिलोटीन) : मुख-बन्ध.

Guillotine, To apply : मुख-बन्ध प्रयोग करना.

H

Head (हेड) : मुख्य.

Head Clerk (हेड क्लर्क) : मुख्य लिपिक.

Head Translator (हेड ट्रान्स्लेटर) : मुख्य अनुवादक.

Heads of Revenue (हेडस ऑफ रेविन्यु) : आगमशीर्षक.

H. E. the Governor (एच. ई. दि गवर्नर) : परमश्रेष्ठ प्रान्तपति.

Honourable (आनरेबल) : माननीय.

H—*concld.*

Honourable Member (ऑनरेबल मेम्बर) : माननीय सदस्य.
House (हाउस) : सभा.
House, Leader of the (लीडर ऑफ दि हाउस) : सभानेता, सभाग्रणी.
House is aware (हाउस इज अवेयर) : सभा को विदित है.

I

Industrial Disputes (इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स) : औद्योगिक झगडे.
Industry Department (इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट) : उद्योग विभाग.
Informal Communication (इनफारमल कम्यूनिकेशन) : उपपत्र.
Interpose (इन्टरपोज) : अन्तरास्थापन.
Introduce (इन्ट्रोडयूस) : पुरःस्थापन (पेशकरना, इत्यर्थ).
Introduction (इन्ट्रोडक्शन) : पुरःस्थापना.
Irrigation (इरिगेशन) : भूसिंचन.
Item (आइटम) : पद.
Item on the agenda (आइटम ऑन दि एजेंडा) : कार्यावली का पद.
Item, Extraordinary (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटेम) : असाधारण पद.

J

Jails (जेलस्) : कारागार.
Jails and Convict Settlements : कारागार तथा बन्दी वसति.
Joint Secretary (जाएन्ट सेक्रेटरी) : संयुक्त सचिव.
Justice, Administration of (एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) : न्याय प्रशासन.

K

Khansama (खानसामा) : गृहपाल.

L

Land Mortgage (लैन्ड मार्टगेज) : भू-प्राधि.
Land Revenue : (लैन्ड रेव्हेन्यू) भू-आगम.
Land Survey : (लैन्ड सर्व्हे) भू-मापन.
Law (लॉ) : विधि.
Lawful (लॉफुल) : विधिवत्, विध्यनुकूल, विध्यनुसार.
Law, Criminal (क्रिमिनल लॉ) : दण्ड विधि.
Law, The Bill be passed into : विधयक विधि बने, बनाया जावे.
Lay on the table : पटल पर रखना.
Leader of the House (लीडर ऑफ दि हाउस) : सभानेता, सभाग्रणी.
Leader of the Opposition (लीडर लॉफ दि अपोजिशन) : प्रतिपक्ष-नेता.
Legal (लीगल) : वैध.
Legal Secretary (लीगल सेक्रेटरी) : विधि सचिव.
Legislation (लेजिस्लेशन) : विधान.

L—*concld.*

Legislative Assembly (लजिस्लेटिव असेम्ब्ली) : विधान सभा (not धारा सभा as धारा means a section of an Act).

Legislative Council (लेजिस्लेटिव कौंसिल) : विधान परिषद.

Legislator (लेजिस्लेटर) : विधायक.

Letting of Accommodation (Control) Ordinance : भाटक ग्रहादिक नियन्त्रण अध्यादेश.

List of Business (लिस्ट ऑफ बिजीनेस) : कार्य-सूची.

Loans and advances bearing interest : ब्याजवाले उधार और अग्रिम.

Lobby (लॉबी) : सभाकक्ष.

Lobby, Left (लेफ्ट लॉबी) : वाम कक्ष.

Lobby, Right (राइट लॉबी) : दक्षिण कक्ष.

Local bodies (लोकल बॉडीज) : स्थानीय निकाय.

Local Government (लोकल गवर्नमेन्ट) : स्थानीय शासन.

Local Self-Government (लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट) : स्थानीय स्व-शासन.

Long Title (लांग टाइटल) : पूर्ण नाम.

Loyalty (लॉयल्टी) : भक्ति, राजभक्ति.

M

Medical Department (मेडिकल डिपार्टमेन्ट) : चिकित्सा विभाग.

Medical Expenses (मेडिकल एक्सपेन्सेस) : चिकित्सा व्यय.

Member (मेम्बर) : सदस्य.

M.L.A. (Member of the Legislative Assembly) (एम. ल. ए.) : वि. स. स. (विधान सभा सदस्य).

Member of Government : शासन सदस्य.

Member, The Honourable : माननीय सदस्य.

Memorandum when used as—

(1) A reminder : स्मारपत्र.
(2) Informal Communication : उपपत्र.
(3) Instrument drawn up in a brief and compendious form : संक्षेप लेख.

Memorandum explanatory of the Budget (मेमोरेंडम एक्स्प्लेनेटरी ऑफ दि बजट) : आयव्ययक की व्याख्या किंवा संक्षिप्त व्याख्या.

Minister (मिनिस्टर) : मंत्री.

Agriculture——(एग्रीकल्चर) (H. M. A.) : कृषि मन्त्री (मा. कृ. म.).
Development——(डेवल्पमेन्ट) (H. M. D.) : विकास मन्त्री (मा. वि. म.).
Education——(एजुकेशन) (H. M. E.) : शिक्षा मंत्री (मा. शि. म.).
Excise——(एक्साइज) (H. M. Excise) : मादक मन्त्री (म. मा. म.).
Finance——(फाइनान्स) (H. M. F.) : अर्थ मन्त्री (मा. अ. म.).
Food——(फुड) (H. M. Food) : अन्न मन्त्री (मा. अन्न. म.).
Prime——(प्राइम) (H. P. M.) : (प्रधान मंत्री मा. प्र. म.).
Public Health——(पब्लिक हेल्थ) (H. M. P. H.) : लोक स्वास्थ्य मंत्री (मा. स्वा. म.).

M—*concld.*

P. W. D. Minister (पब्लिक वर्क्स) (H. M. P. W.) : लोक कर्म मंत्री (मा. लो. म.).
Miscellaneous : प्रकीर्ण.
Mixed : मिश्रित.
Mixture (मिक्स्चर) : मिश्र, मिश्रण.
Motion (मोशन) : प्रस्ताव.
Motion, Cut (कट मोशन) : कर्तन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव.
Motion moved (मोशन मूव्ड) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
Motion, Notice of (नोटिस आफ मोशन) : प्रस्ताव सूचना.
Motor Vehicles (मोटर वेहिकल्स) : वहित्रयान, मोटर गाड़ी.
Motor Vehicles, Inspection of : मोटर गाडी (वहित्रयान) निरीक्षण
Motor Vehicles Rules : मोटर गाड़ी (वहित्रयान) नियम.
Move, To : प्रस्तावन, प्रस्ताव करना.

N

"No", Those against will please say : जो विपक्ष में हों वे कृपया "ना" कहें.
Noes : "ना" पक्ष
Noes to the left : "ना" वाले बाईं ओर.
Nominated (नामिनेटेड) : मनोनीत, निर्दिष्टनामा, नाम निर्दिष्ट.
Nomination (नामिनेशन) : नाम भरना, मनोनयन, नाम निर्देशन.
Nomination Paper (नामीनेशन पेपर) : नाम निर्देश पत्र.
Nominee (नामिनी) : मनोनीत व्यक्ति, निर्दिष्टनामा.
Non-divisible (expenditure) : अभाज्य (व्यय).
Non-recurring (expenditure) : अनावर्ती (व्यय).
Non-votable (expenditure) : अमतदेय (व्यय).
Notice (नोटिस) : सूचना.
Notice of Motion (नोटिस ऑफ मोशन) : प्रस्ताव सूचना :
Notice Office (नोटिस आफिस) : सूचनालय.

O

Oath of allegiance (ओथ ऑफ अलीजिएन्स) : भक्ति शपथ, अनुषक्ति शपथ.
Oath of allegiance to the constitution (ओथ ऑफ अलीजिएन्स टू दि कान्स्टिटयूशन) : संविधान के प्रति अनुषक्ति शपथ.
Objectionable (आब्जेक्शनेबल) : आपत्तिजनक.
Official (आफीशियल) : अधिकारी.
Official Benches (आफीशियल बेन्चेज) : मन्त्रि-वर्ग.
Omit, To (टू ओमिट) : लोप करना.
Opinion (ओपीनियन) : मति.
Opinion thereon, The Bill be circulated for eliciting : सर्व साधारण की मति जानने के लिये इस विधेयक का परिवहन किया जावे.
Opposition (ऑपोजिशन) : प्रतिपक्ष.
Opposition, Leader of the (लीडर आफ दि अपोजिशन) : प्रतिपक्ष नेता.
Order, order (आर्डर, आर्डर) : सावधान, सावधान.
Ordinance (आर्डिनेन्स) : अध्यादेश.

P

Panel (पैनल) : तालिका.
Panel of Chairmen (पैनल ऑफ चेयरमेन) : सभापति-तालिका.
Paragraph (पैराग्राफ) : कंडिका.
Parliament (पार्लियामेण्ट) : संसद्.
Parliamentary Secretary (पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी) : संसत्-सचिव.
Party (पार्टी) : पक्ष.
Party in power (पार्टी इन पावर) : अधिकारारूढ पक्ष
Pass, To (टु पास) : पारण, पार होना, पार करना.
Passed, The Bill was (दि बिल वाज पास्ड) : विधेयक पार हो गया.
Pension (पेन्शन) : पूर्वसेवावृत्ति.
Planning (प्लैनिंग) : उपक्रमण.
Platform (प्लेटफार्म) : मंच.
Police Department (पोलिस डिपार्टमेन्ट) : आरक्षी विभाग.
Post-war planning (पोस्टवार प्लैनिंग) : युद्धोत्तर उपक्रमण.
Presence (प्रेज़ेन्स्) : उपस्थिति.
Present (प्रेज़ेन्ट) : उपस्थित.
Present, To (टु प्रेज़ेन्ट) : उपस्थापन.
Presentation (प्रेज़ेन्टेशन) : उपस्थापन.
Prime Minister (प्राईम मिनिस्टर) : प्रधान मन्त्री.
Prime Minister, The Honourable the (दि ऑनरेबल दि प्राईम मिनिस्टर) : माननीय प्रधान मन्त्री.
Principal (प्रिन्सिपल) : मूलधन.
Prize (प्राइज़) : पारितोषिक.
Programme (प्रोग्राम) : कार्यक्रम.
Proposal (प्रपोजल) : प्रस्थापना.
Propose, To (टू प्रपोज) : प्रस्थापन.
Province (प्राविन्स) : प्रान्त.
Provincial Excise (प्रविन्शिएल एक्साइज) : प्रांतीय मादक-कर, विभाग; प्रांतीय उत्पाद-कर, विभाग.
Provisional Expenditure (प्रविज़नल एक्सपेन्डिचर) : अस्थायी व्यय.
Public Account (पब्लिक अकाउण्ट) : लोक-लेखा.
Public Accounts Committee (पब्लिक अकाउण्टस कमिटी) : लोक-लेखा समिति.
Public Debt (पब्लिक डेट) : लोक-ऋण.
Public Debt Act (पब्लिक डेट एक्ट) : लोक-ऋण अधिनियम.
Public Finance (पब्लिक फाइनान्स) : लोक-अर्थ.
Public Health (पब्लिक हेल्थ) : लोकस्वास्थ्य.
Public Health Department (पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट) : लोकस्वास्थ्य विभाग.

P—*concld.*

Public Health Minister (पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर) : लोकस्वास्थ्य मन्त्री.
Public Improvement (पब्लिक इम्प्रूवमेंट) : लोक सुधार.
Public Servant (पब्लिक सर्व्हन्ट) : लोक सेवक.
Public Service (पब्लिक सर्विस) : लोक सेवा.
Public Works Department : लोककर्म विभाग.
Public Works Minister (पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर) : लोककर्म मन्त्री.

Q

Questions and Answers (क्वेश्चन्स एण्ड एन्सर्स) : प्रश्नोत्तर.
Question, Complementary (कम्प्लेमेंटरी क्वेश्चन) : संपूरक प्रश्न.
Question, Supplementary (सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन) : अनुपूरक प्रश्न.
Question before the House is (क्वेश्चन बिफोर दि हाउस इज) : सभा के सामने यह प्रश्न उपस्थित है.

R

Receive (रिसीव) : प्रापण.
Recommend (रिकमेन्ड) : अनुरोध करना, अभिस्तवन.
Recommendation (रिकमेन्डेशन) : अभिस्ताव.
Recovery (रिकवरी) : प्रत्यादान.
Reduce (रिडयूस) : घटाना.
Refer to (रिफर टु) : भेजना, अर्पण करना.
Refer to a Select Committee (रिफर टु ए सिलेक्ट कमिटी) : प्रवर समिति को भेजा जावे (को अर्पण हो, को सुपुर्द हो).
Register (रजिस्टर) : पंजी.
Register, To (टु रजिस्टर) : पंजीयन.
Registered (रजिस्टर्ड) : पंजीयित.
Registration (रजिस्ट्रेशन) : पंजीयन.
Regulation (रेग्यूलेशन) : नियमन, आनियम.
Regulation of Letting of Accommodation Ordinance : भाटक गृहादि आनियम अध्यादेश.
Repayment (रिपेमेन्ट) : प्रतिशोधन.
Report (रिपोर्ट) : प्रतिवेदन.
Report of Select Committee (रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमिटी) : प्रवर समिति का प्रतिवेदन.
Reserve Bank of India (रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया) : भारतीय संचिति अधिकोष.
Resolution (रिजोल्यूशन) : संकल्प, प्रस्ताव (if resolution is प्रस्ताव, then motion would be उपस्थापना).
Resolve (रिजाल्व) : संकल्प करना.
Rule (रूल) : नियम.

S

Scientific Department (साइन्टिफिक डिपार्टमेंट) : विज्ञान विभाग.

Scientific and Industries Department (साइन्टिफिक अंड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमन्ट) : विज्ञान और उद्योग विभाग.

Secretariat (सेक्रेटेरिएट) : सचिवालय.

Secretary (सेक्रेटरी) : सचिव.

Additional ——(एडीशनल) : अपर सचिव.
Assembly——(असेम्ब्ली) : सभा सचिव.
Assistant——(असिस्टेन्ट) : सहायक सचिव.
Chief——(चीफ) : प्रधान सचिव.
Deputy——(डेप्युटी) : प्रति सचिव.
Legal——(लीगल) : विधि सचिव.
Parliamentary——(पार्लमेन्टरी) : संसत् सचिव.
Under——(अन्डर) : उप सचिव.

Security (सिक्यूरिटी) : प्रतिभूति.

Select Committee (सिलेक्ट कमिटी) : प्रवर समिति.

Select Committee, The Bill be referred to a : यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जावे (को अर्पण हो, को सुपुर्द हो).

Shorthand (शार्टहैन्ड) : आशुलिपि.

Short title (शार्ट टाइटल) : संक्षिप्त नाम.

Sir (सर) : श्रीमन्, आर्य.

South Gallery (साउथ गैलेरी) : दक्षिण दीर्घा.

Speaker (स्पीकर) : अध्यक्ष (abbr. from विधान सभा अध्यक्ष).

Speaker, Mr. (मिस्टर स्पीकर) : अध्यक्ष महोदय.

Speaker, Deputy (डेप्युटी स्पीकर) : उपाध्यक्ष (really stands for प्रत्याध्यक्ष).

Speech (स्पीच) : भाषण.

Stages of the Bill : विधेयक प्रक्रम : (*cf.* order : क्रम).

Stamp and Other Taxes and Duties : प्रमुद्रा और अन्य कर और बलि.

State (स्टेट) : राज्य.

State trading, Capital outlay on Provincial scheme of : राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनाओं पर पुंजी की लागत.

Stationery and Printing (स्टेशनरी एन्ड प्रिंटिंग) : लेखन-सामग्री और मुद्रण.

Stenographer (स्टेनोग्राफर) : आशुलिपिक.

Sub-clause (सबक्लाज) : अनुखन्ड.

Subsidy (सबसिडी) : अर्थसाहाय्य.

Superannuation Allowance (सुपर एन्यूएशन अलाउन्स) : अधिवार्षिक अधिदेय.

Superintendent (सुपरिंटेंडेंट) : अधीक्षक (*cf.* Inspector : निरीक्षक).

Superintendent, Assistant (असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट) : सहायक अधीक्षक.

Supplementary Budget (सप्लिमेन्टरी बजट) : अनुपूरक आयव्ययक.

Supplementary Demand (सप्लिमेन्टरी डिमान्ड) : अनुपूरक अभियाचन.

Supplementary Question : अनुपूरक प्रश्न.

Survey, Land (लैन्ड सर्वे) : भू-मापन.

T

Table (टेबल) : पटल.
Table of Contents : विषय सूची.
Table, Lay on the (ले ऑन दि टेबल) : पटल पर रखना.
Teller (टेलर) : गणक.
Textile (टेक्स्टाइल) : वान (वाना).
Textile Control Board (टेक्स्टाइल कन्ट्रोल बोर्ड) : वान नियंत्रक गण.
Textile Industry (टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री) : वान उद्योग.
Title, Long (लांग टाइटल) : पूर्ण नाम.
Title, Short (शॉर्ट टाइटल) : संक्षिप्त नाम.
Translator (ट्रान्स्लेटर) : अनुवादक.
Translator, Head : मुख्य अनुवादक.
Travelling Allowance (ट्रेव्लिंग अलाउन्स) : यात्रा अधिदेय.
Treasury Benches : मन्त्रि-वर्ग.
Type (टाइप) : मुद्र.
Typewriter (टाइपरायटर) : मुद्रलिख.
Typed (टाइप्ड) : मुद्रलिखित.
Typed Copy (टाइप्ड कॉपी) : मुद्रलिखित प्रति.
Typing (टाइपिंग) : मुद्रलेखन.
Typist (टाइपिस्ट) : मुद्रलेखक.

U

Unattached (अनअटैच्ड) : असं लग्न.
Under Secretary (अन्डर सेक्रेटरी) : उप सचिव.
Unit (यूनिट) : अंग.
Unit of Appropriation (युनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन) : नियोजन इकाई.
University Court (युनिर्वासिटी कोर्ट) : विश्वविद्यालय सभा.
Unspent Balance : अवीत शेष, बचत.

V

Validation (वैलीडेशन) : वैधकरण.
Validation of Awards and Continuance of Proceedings : पंचों के निर्णयों का वैधकरण तथा कार्यवाहों के चालू रखने का अध्यादेश.
Veterinary (वेटरिनरी) : पशुचिकित्सा.
Veterinary Department (वेटरिनरी डिपार्टमेण्ट) : पशुचिकित्सा विभाग.
Visitors' Gallery (विजिटर्स गैलेरी) : दर्शक दीर्घा.
Vote (वोट) : मत.
Voted or Votable Expenditure : मतदेय व्यय, दत्तमत व्यय. (Non-votable expenditure : अमतदेय व्यय).

W

Whip (व्हिप) : प्रतोद (current in Marathi).
Work, Contributional : अंशदान कर्म.

GPN—2003—SLAD—24-2-48—5,000.